ISSN: 2456–5474 RNI No.UPBIL/2016/68367 Vol.-6* Issue-8* September- 2021
Innovation The Research Concept

# भारतीय महिलाओं की सामाजिक स्थिति और सशक्तीकरण (वैदिक व मध्यकाल से तुलनात्मक अध्ययन)

# Social Status and Empowerment of Indian Women

## (Comparative Study from Vedic and Medieval Periods)

**Paper Submission: 11/09/2021, Date of Acceptance: 24/09/2021, Date of Publication:25/09//2021**

**रजनी तसीवाल**
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
राजकीय महाविद्यालय, टोंक,
राजस्थान, भारत

**सारांश**

स्त्री के बिना सृष्टि की कल्पना करना असंभव है। सम्पूर्ण मानवीय सृष्टि को जन्म देने वाली स्त्री एक माँ, बहन, पत्नी, सहकर्मी सभी रूपों में अपना फर्ज पूरा करती है। सिन्धु सभ्यता से लेकर आधुनिक काल में उसके मूलभूत रूपों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन उसकी स्वयं की जीवन परिस्थितियों में परिवर्तन आ गये है। प्राचीनकाल में जिस स्त्री को पुरूष के समान दर्जा प्राप्त था, मध्ययुग में वह निम्न स्तरीय जीवन जीने पर मजबूर हो गयी है।

आधुनिककाल में वहीं स्त्री अध्ययन अध्यापन के माध्यम से कई उच्च पदों पर आसीन है। क्या यह सत्य है कि मात्र पुरूष ही सर्वोत्तम बुद्धिमान प्राणी है ? स्त्री का अस्तित्व पुरूष के साथ ही संभव है यह एक धारणा मात्र है वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती है। वैदिक और मध्यकाल यह तुलनात्मक अध्ययन है।

The world cannot be imagined without women. The woman who gave birth to the entire human creation, she discharges her duty in all forms as mother, sister, wife, co-worker. From the Indus civilization to the modern period, there has been no change in its original forms. But his own life circumstances have changed. In ancient times, a woman who had the same status as a man has been forced to live a low standard of life in the Middle Ages.

In the modern times, women studies are occupying many high positions through teaching. Is it true that only men are the best intelligent beings? The existence of a woman is possible only with a man, it is only an assumption that she has her own independent existence. This is a comparative study of Vedic and medieval times.

**मुख्य शब्द**- वैदिक, उत्तर वैदिक, मिशनरी, कन्या भ्रुण, गर्भपात।
Vedic, Post-Vedic, Missionary, Female Embryo, Abortion.

**प्रस्तावना**

भारतीय महिलाओं की स्थिति और दशाओं ने पिछली कुछ सदियों में कई बड़े बदलावों का सामना किया है। प्राचीन काल में पुरूषों के समान स्थिति से लेकर मध्ययुगीन समय के निम्न स्तरीय जीवन तक उनका इतिहास काफी गतिशील रहा है। प्राचीनकाल में बराबरी व मध्ययुग में निम्नस्तरीय जीवन की पीड़ा के साथ कई समाज सुधारकों द्वारा समान अधिकारों को बढ़ावा दिये जाने तक का महिला इतिहास कई उतार-चढ़ाव से भरा हुआ है।

आधुनिक भारत में भारतीय महिलाये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि अनेक शीर्ष पदों पर आसीन हो चुकी है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि भारतीय महिला की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। उसकी स्थिति में युगानुरूप परिवर्तन होते रहे है। उसकी स्थिति में हमारे वैदिक युग से लेकर आधुनिक काल तक कई प्रकार के बदलाव आये है। वैदिक युग में स्त्रियों की स्थिति सुदृढ़ थी, परिवार तथा समाज ने उन्हें सम्मान प्राप्त था। उनको उस वैदिक (स्वर्णिमकाल) में पुरूष के समान शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। वैदिक काल में महिला को सम्पत्ति में बराबरी का हक प्राप्त था। सभा व समितियों में स्वतंत्रतापूर्वक भाग लेती थी। तथापि ऋग्वेद में कुछ ऐसी उक्तियॉ भी हैं जो महिलाओं के विरोध में दिखाई देती है।

मैत्रयीसंहिता में स्त्री को झूठ का अवतार कहा गया है। ऋग्वेद का कथन है कि स्त्रियों के साथ कोई मित्रता नहीं है, उनके हृदय भेड़ियों के हृदय है। ऋग्वेद के अन्य कथन में स्त्रियों को दास की सेना का अस्त्र-शस्त्र कहा गया है। स्पष्ट है कि वैदिक काल में भी कहीं न कहीं महिलाये नींची दृष्टि से देखी जाती थी, फिर भी हिन्दू जीवन के प्रत्येक क्षैत्र में वह समान रूप से आदरणीय और प्रतिष्ठा प्राप्त पद पर थी।

शिक्षा, धर्म, व्यक्तित्व और सामाजिक विकास में उसका महान योगदान था। संस्थानिक रूप से स्त्रियों की अवनति उत्तर वैदिक काल से शुरू हुयी। संस्थानिक रूप से उनको कमजोर स्वीकार किया जाने लगा। उन पर अनेक प्रकार के निर्योग्यताओं का आरोपण कर दिया गया। उत्तर वैदिक काल तक आते आते उनके लिए निन्दनीय शब्दों का प्रयोग होने लगा था। उनकी समस्त स्वतंत्रता और उन्मुक्तता पर अनेक प्रकार के नियंत्रण लगाये जाने लगे थे। मध्यकाल में इनकी स्थिति ओर भी दयनीय हो गयी। पर्दा प्रथा इतनी अधिक बढ़ गयी कि स्त्रियों के लिए कठोर एकान्त नियम बना दिये गये।

नारी के संबंध में मनु का कथन है कि "पितारक्षति कौमारे .....न स्त्री स्वातन्त्र्यम् अर्हति। वहीं पर उनका कथन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता।"

**वैदिककाल- (महिला स्थिति)**

वैदिककाल और उत्तर वैदिककाल में महिलाओं को अत्यन्त गरिमामय स्थान प्राप्त था। उसे उस काल में देवी, सहधर्मिणी, अर्द्धांगिनी, सहचरी माना जाता था। उसे स्मृतिकाल में सर्वप्रथम पूजनीय स्वीकार किया गया था। स्मृतिकाल में भी "यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता" कहकर उसे सम्मानित स्थान प्रदान किया गया है। पौराणिक काल में भी शक्ति का स्वरूप मानकर उसकी आराधना की जाती रही है। किन्तु 11वीं शताब्दी से लेकर लगभग 19वीं शताब्दी के बीच भारत की महिलाओं की स्थिति अत्यन्त दयनीय हो गयी थी। उस समय में महिलाओं के सम्मान, उनके विकास और सशक्तीकरण में पतन का समय आ गया था। मुगल शासन (मध्यकाल), सामन्ती व्यवस्था, भारत में केन्द्रीय व्यवस्था का अभाव, विदेशी आक्रमण और शासकों की बिलासतापूर्ण प्रवृत्ति ने महिलाओं को मात्र उपभोग की वस्तु बना दिया था।

समाज में जब महिला मात्र उपभोग की वस्तु बन जाती है तो अपराधी प्रवृत्ति के असामाजिक तत्व अपनी मर्यादाओं का त्याग कर देते है। अपराधी प्रवृत्तियों से स्त्री को बचाये रखने के लिए बाल विवाह, पर्दा प्रथा का जन्म हुआ। सती प्रथा का प्रचलन भी इसलिये अस्तित्व में आया ताकि एक विधवा स्त्री को बुरे समाज की बुरी नजर से बचाया जा सके। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार भी नहीं था। अशिक्षा ने महिलाओं की स्थिति को और हीन बना दिया था। अशिक्षा ने स्त्री के निजी व सम्पूर्ण सामाजिक जीवन को कलुषित कर दिया था।

पौराणिक युग में नारी वैदिक युग के दैवी पद से उतरकर सहधर्मिणी के स्थान पर आ गई थी। धार्मिक अनुष्ठानों और याज्ञिक कर्मो में उसकी स्थिति पुरूष के बराबर थी। कोई भी धार्मिक कार्य बिना पत्नी नहीं किया जाता था। श्रीरामचन्द्र ने अश्वमेघ के समय सीता की हिरण्यमयी प्रतिभा बनाकर यज्ञ किया था। यद्यपि उस समय भी अरून्धती (महर्षि वशिष्ठ की पत्नी), लोपा मुद्रा (महर्षि अगस्त्य की पत्नी), अनुसूया (महर्षि अत्रि की पत्नी) आदि नारियाँ देवी रूप की प्रतिष्ठा के अनुरूप थी। तथापि ये सभी अपने पतियों की सहधर्मिणी ही थी।

**मध्यकाल-मध्यकाल में महिलायें**

मध्यकालीन समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में और अधिक गिरावट आयी थी। उस समय भारत के कुछ समुदायों में सतीप्रथा, बालविवाह और विधवा पुर्नविवाह पर रोक, सामाजिक जीवन का हिस्सा बन गयी थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दाप्रथा को भारतीय समाज में भी प्रसारित कर दिया था। राजस्थान राज्य में राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। भारत के कुछ हिस्सों में देवदासियाँ या मंदिर की महिलाओं को यौन शोषण का शिकार होना पड़ा था। बहुविवाह की प्रथा हिन्दू क्षत्रिय शासकों में व्यापक रूप से प्रचलित थी। कई मुस्लिम परिवारों में महिलाओं को जनाना (स्त्रियों के लिए तय सीमा) क्षेत्रों तक रखा गया था।

इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, साहित्य, शिक्षा और धर्म में सफलता हासिल की। रजिया सुल्तान दिल्ली पर शासन करने वाली एक मात्र महिला सम्राज्ञी बनी। इतिहास इस बात का साक्षी है कि गोंड की महारानी दुर्गावती ने 1564 में मुगल सम्राट अकबर के सेनापति आसफ खान से लड़कर अपनी जान गंवाने से पहले पन्द्रह वर्षों तक शासन किया था। चाँद वीबी ने 1509 के दशक में अकबर की शक्तिशाली मुगल सेना के खिलाफ अहमद नगर की रक्षा की। जहांगीर की पत्नी नूरजहाँ ने राजशाही शक्ति का प्रभावशाली ढंग से इस्तेमाल किया और मुगल राजगद्दी के पीछे वास्तविक शक्ति के रूप में पहचान हासिल की थी।

मध्यकाल में मुगल राजकुमारी जहाँआरा और जेबुन्निसा सुप्रसिद्ध कवियित्रियाँ थी। समस्त इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि शिवाजी की मां जीजाबाई एक सफल योद्धा थी। वे एक कुशल प्रशासक थी इसलिए उनको क्वीन रीजेंट के रूप में पदस्थापित किया गया था। मध्यकाल के समय भारत में कई हिस्सों में महिलाओं ने गांवों, शहरों और जिलों पर शासन किया और सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों की शुरूआत की थी। भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की अच्छी स्थिति को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की। भक्ति आंदोलन में एक अधिक प्रभाव रखने वाली महिला संत कवयित्री मीराबाई थी। महिला संत कवयित्री मीराबाई के अलावा अक्का महादेवी, रामी जानाबाई और लाल देह भी प्रसिद्ध कवयित्री थी। सिक्खों के प्रथम गुरू, गुरू नानक जी ने पुरूषों और महिलाओं के बीच समानता के संदेश को प्रचारित किया था। मध्यकाल में विदेशियों के आगमन से भारतीय स्त्रियों की स्थिति में अत्यधिक गिरावट आयी है। अशिक्षा ने चारों ओर से स्त्री को घेर लिया था। स्त्री घर की चार दीवारी में कैद होती गयी और उस समय नारी एक अबला, रमली और भोग्या बनकर रह गयी थी। आर्य समाज जैसी समाज सेवी संस्थाओं ने नारी शिक्षा के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिये थे। 19वीं सदी के पूर्वार्द्ध में भारत के कुछ समाजसेवियों जैसे राजाराम मोहन राय, दयानन्द सरस्वती, ईश्वर चन्द, विद्यासागर तथा केशव चन्द ने अत्याचारी सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ विरोध प्रकट किया। सभी समाजसेवियों ने तत्कालीन अंग्रेजी शासकों के समक्ष स्त्री पुरूष समानता, स्त्रीशिक्षा, सतीप्रथा पर रोक तथा बहु विवाह पर रोक की आवाज उठायी। इसी आवाज के परिणाम स्वरूप सतीप्रथा निषेध अधिनियम 1829, 1856 में हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1891में एज ऑफ कन्सटेन्ट बिल, 1891 में बहुविवाह रोकने के लिए वैटिव मैरिज एक्ट पास कराया गया। इन सभी कानूनों का समाज पर दूरगामी परिणाम हुआ। नारी के जीवन में आयी गिरावट पर रोक लगी। कई नये नारी संगठनों का सूत्रपात हुआ जिनकी मुख्य मांग स्त्री

शिक्षा, दहेज विरोध, बाल विवाह निषेध। इन सभी संगठनों ने महिला पुरूष शिक्षा समानता और महिला पुरूष अधिकार समानता पर बल दिया था।

महिलाओं के पुनरोत्थान का काल ब्रिटिश काल में शुरू हुआ। ब्रिटिश इण्डिया काल में निम्न शैक्षणिक परिवर्तन हुए-

1. इस काल में पहला ऑल-गर्ल्स वोर्डिंग स्कूल वर्ष 1821 में दक्षिण भारत के तिरूनेलवेली में स्थापित किया गया था।
2. वर्ष 1840 तक स्कॉटिश चर्च सोसायटी द्वारा दक्षिण भारत में निर्मित 6 विद्यालय मौजूद थे जिनमें कुल दो सौ (200) लड़कियों का नामांकन कराया गया था।
3. वर्ष 1848 में पुणे में महिला विद्यालय की शुरूआत करने वाले ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई पश्चिमी भारत में भी महिला शिक्षा में अग्रणी थे।
4. पश्चिमी भारत में महिला शिक्षा की शुरूआत पुणे में महिला विद्यालय के निर्माण के साथ हुई जिसे वर्ष 1848 में ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्री बाई ने शुरू किया था।
5. अत्यंत उल्लेखनीय है कि 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने विद्यालय में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था।
6. ईस्ट इंडिया कम्पनी के कार्यक्रम वुड्स डिस्पैच ने वर्ष 1854 में महिलाओं की शिक्षा और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता को स्वीकार किया।
7. वर्ष 1879 में स्थापित बेथ्यून कॉलेज वर्तमान में एशिया का सबसे पुराना महिला कॉलेज है।
8. महिलाओं की शिक्षा (साक्षरता) दर वर्ष 1882 में 0.2 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 1947 में 6 प्रतिशत हो गयी थी।

**मेटसन ने हिन्दू संस्कृति में स्त्रियों की एकान्तता तथा उनके निम्न स्तर के लिए पांच कारकों को उत्तरदायी ठहराया है- हिन्दू धर्म, जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, इस्लामी शासन तथा ब्रिटिश उपनिवेशवाद।**

हिन्दूवाद के आदर्शों के अनुसार पुरूष स्त्रियों से श्रेष्ठ होते है। उन्नीसवी सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवी सदी तक आते-आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक प्रशासनिक खेलकूद आदि समस्त क्षेत्रों में उन्होंने नये आयाम स्थापित किये है। आज महिलाएँ आत्मनिर्भर, स्वनिर्मित, आत्मविश्वासी है जिसने पुरूष प्रधान चुनौतिपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता का प्रदर्शन किया है। देश में महिला न केवल शिक्षिका, नर्स, स्त्री रोग की चिकित्सक बन रही है अपितु इंजीनियर, पायलट, वैज्ञानिक तकनीशियन, सेना पत्रकारिता जैसे नवीन क्षेत्रों में भी अग्रणी है। देश के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा स्पीकर के पद पर मीरा कुमार, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती, वसुन्धरा राजे, सुषमा स्वराज, जयललिता, ममता बनर्जी, शीला दीक्षित आदि महिलाये राजनीतिक क्षेत्र में शीर्ष पर है।

सामाजिक क्षेत्र में भी मेधा पाटकर, श्रीमती किरण मजूमदार, ईलाभट्ट, सुधामूर्ति आदि महिलाये ख्याति प्राप्त कर चुकी हैं। खेल जगत में पी.टी.ऊषा, अंजू बार्बीजार्ज, सुनिता जैन, सानिया मिर्जा, अंजू चोपड़ा आदि ने नये कीर्तिमान स्थापित किये है। भारत की प्रथम आई.पी.एस. किरण बेदी, अंतरिक्ष यात्री सुनिता विलियम्स जी ने उच्च शिक्षा प्राप्त करके विविध क्षेत्रों में अपने बुद्धि कौशल का परिचय दिया है।

**अध्ययन का उद्देश्य**

भारतीय संस्कृति में स्त्री का स्थान देव तुल्य है।

या देवी सर्व भूतेषु दया रूपेणा संस्थिता
नमस्तस्ये, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः

किन्तु समय परिवर्तन के साथ यह देव तुल्य स्थान, प्रभावित हुआ है। वैदिक व मध्यकाल की महिला की स्थिति में जो परिवर्तन आया है उस स्थिति का अध्ययन करना आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य इन दोनों स्थितियों का तुलनात्मक अध्ययन है।

**महिला सशक्तीकरणः प्रारम्भिक चरण**

जब हम वैदिक और मध्यकाल से निकल कर देखते है तो पाते है कि 20वीं सदी के उत्तरार्द्ध और 21वीं सदी के प्रारम्भ में बराबरी होने लगी है। आज की नारी नौकरी करने लगी है। नौकरी कर स्त्रियॉं धन कमाने लगी है तो पुरूष की मानसिकता मंे भी परिवर्तन आया है। आर्थिक दृष्टि से नारी अर्थचक्र के केन्द्र की ओर बढ़ रही है। विज्ञापन की दुनियॉं में नारियॉं बहुत आगे है। आज की नारी राजनीति कारोबार कला तथा नौकरियों में नये आयाम स्थापित कर रही है।

**राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति (2001)**

लैगिंग समानता का सिद्धान्त भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, मौलिक कर्तव्यों और नीति निर्देशक सिद्धान्तों में प्रतिपादित है।

**अनुच्छेद (14)**

सके अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।[1]

**अनुच्छेद (15)**

इसके अनुसार राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जायेगा।[2]

**अनुच्छेद (16)**

इसके अनुसार सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जायेगा।[4]

**अनुच्छेद (19)**

द्वारा नागरिकों को 6 स्वतन्त्रतायें प्रदान की गयी है।

**अनुच्छेद (21)**

इसके अनुसार किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है।[4]

**अनुच्छेद (23)**

इसके अनुसार सभी नागरिकों को शोषण के विरूद्ध अधिकार प्रदान कर शोषण की सभी स्थितियाँ समाप्त करने का प्रयास किया गया है।[5]
संविधान महिलाओं को न केवल समानता का दर्जा प्रदान करता है अपितु राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक व्यवहार के उपाय करने की भी शक्ति प्रदान करता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के ढांचे के अन्तर्गत हमारे कानूनों, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओ और कार्यक्रमों में विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओ की उन्नति को उद्देश्य बनाया गया है।

**महिला सशक्तीकरणः व्यावहारिक पक्ष**

पांचवी पंचवर्षीय योजना (1974-78) से महिलाओं से जुड़े मुद्दों के प्रति कल्याण की बजाय विकास का दृष्टिकोण अपनाया गया।6 कई वर्षों से महिलाओं की स्थिति को अभिनिश्चित करने में महिला सशक्तीकरण को प्रमुख मुद्दे के रूप में मनाया गया है।

1. महिलाओं के अधिकारों एवं कानूनी हकों की रक्षा के लिए वर्ष 1990 में संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई।
2. भारतीय संविधान में 73वें और 74वें संशोधनों (1993) के माध्यम से महिलाओं के लिए पंचायतों और नगरपालिकाओं के स्थानीय निकायों में सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है7 जो स्थानीय स्तरों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है।
3. भारत ने महिलाओं के समान अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार के संबंध में लिखित कानून व बातों की भी पुष्टि की है। इनमें से एक प्रमुख वर्ष 1993 में महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर अभिसमय (सी.ई.डी.ए.डब्ल्यू) की पुष्टि है।
4. मेक्सिको कार्य योजना 1975 नैरावी अग्रदर्शी रणनीतियाँ (1985) बीजिंग घोषणा और प्लेटफार्म फॉर एक्शन (1995) और जेंडर समानता तथा विकास और शांति पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र द्वारा 21वीं शताब्दी के लिए अंगीकृत वीजिंग घोषणा एवं प्लेटफार्म फॉर एक्शन को कार्यान्वित करने के लिए और कार्यवाईयाँ एवं पहले नामक परिणाम दस्तावेज को समुचित अनुवर्ती कार्यवाई के लिए भारत द्वारा पूर्णतया पृष्ठांकित कर दिया गया है।
5. इस नीति में 9वीं पंचवर्षीय योजना की प्रतिबद्धताओं एवं महिलाओं के सशक्तीकरण से संबंधित अन्य सेक्टोरल नीतियों को भी ध्यान में रखा गया है।
6. महिला आन्दोलन और गैर सरकारी संगठनों, जिनकी बुनियादी स्तर पर सशक्त उपस्थिति है एवं जिन्हें महिलाओं के सरोकारों की गहन समझ है, के व्यापक नेटवर्क ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए पहल को शुरू करने में योगदान किया है।

लैगिंक असमानता कई प्रकार से उभरकर सामने आती है, जिसमें से सबसे प्रमुख विगत कुछ दशकों में जनसंख्या में महिलाओं के अनुपात में निरन्तर गिरावट की रूझान है। सामाजिक रूढ़ीवादी सोंच, घरेलू तथा समाज के स्तर पर हिंसा इसके कुछ अन्य रूप है। बालिकाओं, किशोरियों तथा महिलाओं के प्रति भेदभाव भारत के अनेक भागों में जारी है। इस असमानता की मूल जड़ में सामाजिक और आर्थिक ढ़ाँचे भी जिम्मेदार है। जोकि अनौपचारिक एवं औपचारिक मानकों व प्रथाओ पर आधारित है। परिणामस्वरूप, महिलाओं और खासकर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति। अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों सहित कमजोर वर्गों की महिलाओं, जो अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में और अनौपचारिक असंगठित क्षेत्र में है, की अन्यों के अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य और उत्पादक संसाधनों तक पहुंच अपर्याप्त है। अतः वे सभी ज्यादातर सीमांत, गरीब और सामाजिक रूप से वंचित रह जाती है।

**महिला सशक्तीकरणः पांचवी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य**

1. इस नीति का लक्ष्य महिलाओं की उन्नति, विकास और सशक्तीकरण करना है। सकारात्मक आर्थिक एवं सामाजिक नीतियों के माध्यम से महिलाओं के पूर्ण विकास के लिए वातावरण बनाना ताकि वे अपनी पूरी क्षमता को साकार करने में समर्थ हो।
2. विधिक न्यायिक प्रणाली को महिलाओं की आवश्यकताओं विशेष रूप से घरेलू हिंसा और पैराक्तिक हमले के मामलों में अधिक अनुक्रियाशील तथा जाकर सुग्राही बनाया जायेगा।
3. सशक्तीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी स्तरों पर राजनीतिक प्रक्रिया में निर्णय लेना सहित, सत्ता की साझेदारी और निर्णय लेने में महिलाओं की बराबर की भागीदारी सुनिश्चित होगी।
4. उत्प्रेरक, भागीदार और प्राप्तकर्ता के रूप में विकास की सभी प्रक्रियाओं में महिलाओं के परिप्रेक्ष्यों का समावेश सुनिश्चित करने के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम और प्रणालिया बनेगी।

5. उपभोग तथा उत्पादन के लिए ऋण तंत्रों तथा सूक्ष्म वितीय संस्थाओं को स्थापित किया जायेगा एवं मौजूदा सूक्ष्म ऋण तन्त्रों तथा सूक्ष्म वितीय संस्थाओं को सुदृढ़ किया जायेगा।
6. महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उत्पादकों और कामगारों के रूप में सामाजिक-आर्थिक विकास में उनके योगदान को औपचारिक और गैर-औपचारिक क्षेत्रों में मान्यता दी जायेगी।
7. भूमण्डलीकरण ने भी महिलाओं की समानता के लिए चुनौती प्रस्तुत की है। बढ़ती वैश्विक अर्थव्यवस्था के लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए है जिससे विशेष रूप से अनौपचारिक आर्थिक और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रायः बिगडती जा रही कार्यदशाओ तथा असुरक्षित कार्य परिवेश के कारण व्यापक आर्थिक असमानताओं, महिलाओं में निर्धनता, लैगिंक असमानता में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए कार्यनीति बनायी गई है।
8. कृषि क्षेत्र में महिला कामगारों को लाभ पहुंचाने के लिए मृदा संरक्षण, सामाजिक वानिकी, डेयरी विकास और कृषि से सम्बद्ध व्यवसाय जैसे बागवानी, लघु पशुपालन सहित पशुधन, मुर्गीपालन मत्स्य पालन इत्यादि महिला प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी विस्तार होगा।
9. महिलाओं और लड़कियों के लिए शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित किया जायेगा। भेदभाव मिटाने, शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने के लिए उपाय किये गये। शिशु और मातृ मृत्यु दर व बाल विवाह जैसी समस्याओं से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए मृत्यु, जन्म व विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया जाये।
10. राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की जनसंख्या स्थिरीकरण संबंधी प्रतिबद्धता के अनुसरण में परिवार नियोजन व बाल विवाह रोक व विवाह पंजीकरण को अपनाने पर बल दिया।
11. लड़कियों व महिलाओं के पोषण संबंधी मामलों में घरों के अन्दर भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास किया जाये। महिलाओं को सौर ऊर्जा, बायोगैस, धूँआ रहित चूल्हों और अन्य ग्रामीण संसाधनों के प्रयोग को प्रचारित करने में शामिल किया जायेगा।
12. महिलाओं के विरूद्ध हिंसा (शारीरिक, मानसिक-घरेलू, सामाजिक स्तर जिसमें रिवाजों, परम्पराओं अथवा प्रचलित मान्यताओं से उत्पन्न हिंसा शामिल है,) से निपटना होगा।

**महिला सशक्तीकरणः महिला शिक्षा-एक आशा**

हम सहर्ष ही इस तथ्य को स्वीकार करते है कि किसी भी राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक विकास में महिलाओं की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। इस सम्पूर्ण सृष्टि में महिला और पुरूष दोनों समान रूप से समाज के दो पहियों की तरह कार्य करते है। स्त्री-पुरूष दोनों साथ मिलकर समाज को प्रगति की ओर ले जाते है। यद्यपि दोनों की समान भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि उन्हें शिक्षा सहित अन्य सभी क्षेत्रों में समान अवसर दिये जाये। यदि कोई एक पक्ष भी कमजोर रह जाता है तो सामाजिक प्रगति संभव नहीं हो पायेगी। परन्तु हमारी वास्तविकता कुछ और है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में महिला साक्षरता दर मात्र 64.46 फीसदी है, जबकि पुरूष साक्षरता दर 82.14 फीसदी है। उल्लेखनीय है कि भारत की महिला साक्षरता दर विश्व के औसत 79.7 प्रतिशत से काफी कम है।

**भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य**

1. भारत में पुरूषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर कम है। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते है कि राजस्थान 52.12 प्रतिशत और बिहार 51.50 प्रतिशत में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है।
2. जनगणना आंकड़े यह भी बताते है कि देश की महिला साक्षरता दर 64.46 प्रतिशत देश की कुल साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत से भी कम है।
3. जन्म दर अधिक होने के बाद भी यह पाया गया है कि बहुत कम लड़कियों का विद्यालयों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई लड़कियों का विद्यालयों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई लड़कियाँ बीच में ही विद्यालय जाना छोड़ देती है। कई लड़कियाँ अपनी रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैये के कारण विद्यालय नहीं जा पाती है।
4. भारत में 15-24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5 प्रतिशत है जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरूषों के मामले में यह 9.8 प्रतिशत है।
5. वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15-18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियाँ विद्यालय शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं हैं और इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती है या भीख मांगने जैसे कार्यों में।
6. भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएँ है जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है।
7. भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है।

स्वतंत्रता के समय देश की महिला साक्षरता दर काफी कम थी। जिसे सरकार द्वारा नजर अंदाज नहीं किया जा सकता था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1958 में सरकार ने महिला शिक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसकी सभी सिफारिशे स्वीकार कर ली गयी थी। इन सभी सिफारिशों का सार यह था कि महिला शिक्षा को भी पुरूष शिक्षा के समानान्तर पहुंचाया जाये। वर्ष 1959 में इसी विषय पर गठित एक समिति ने लड़कों और लड़कियों के लिए एक समान पाठ्यक्रम को विभिन्न चरणों में लागू करने की सिफारिश की थी। वर्ष 1964 में स्थापित शिक्षा आयोग ने बड़े पैमाने पर महिला शिक्षा के विषय में बात की और वर्ष 1968 में भारत सरकार से एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने की सिफारिश की।

**महिला शिक्षा की आवश्यकता**

1. महिलाओं को शिक्षित करना भारत में कई सामाजिक बुराइयों, जैसे-दहेज प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, कार्यस्थल पर उत्पीड़न आदि को दूर करने की कुंजी साबित हो सकती है।
2. महिला शिक्षा से निश्चित तौर पर देश के आर्थिक विकास में सहायता मिलेगी, क्योंकि अधिक से अधिक शिक्षित महिलाएं देश के श्रम बल में हिस्सा ले पायेगी। महिलायें जितनी अधिक शिक्षित होती है उनके बच्चों को उतना ही अच्छा पोषक आहार व मूल शिक्षा प्राप्त होती है।

**महिला शिक्षा के मार्ग में बाधायें (महिला सशक्तीकरण का व्यवहारिक पक्ष)**

1. भारतीय समाज पुरूष प्रधान समाज है। महिलाओं को पुरूषों के बराबर सामाजिक दर्जा नहीं दिया जाता है और उन्हें घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया जाता है। यद्यपि ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में स्थिति अच्छी है, परन्तु इस तथ्य से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आज भी देश की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है।
2. भारत दुनिया में सर्वोच्च शक्ति बनने के लिए तेजी से प्रगति कर रहा है परन्तु लैंगिक असमानता की चुनौती आज भी हमारे समक्ष एक कठोर वास्तविकता के रूप में खड़ी है। हमारे देश में कई शिक्षित और कामकाजी महिलायें भी लैंगिक असमानता का अनुभव करती है।
3. समाज में यह एक मिथ्या भी प्रचलित है कि किसी विशेष कार्य या परियोजना के लिए महिलाओं की दक्षता उनके पुरूष समकक्षों के मुकाबले कम होती है। इसी कारण देश में महिलाओं तथा पुरूषों के वेतन में अंतर काफी पाया जाता है।
4. देश में महिला सुरक्षा अभी तक एक बड़ा मुद्दा है, जिसके कारण कई अभिभावक लड़कियों को विद्यालय भेजने से कतराते है। यद्यपि सरकार ने इस क्षेत्र में काफी काम किया है परन्तु वे सभी प्रयास इस मुद्दे को पूर्ण करने में पूर्णतः असफल रहे है।

**महिला शिक्षा हेतु सरकार के प्रयास**

1. बेटी बचाओं, बेटी पढ़ाओं की शुरूआत वर्ष 2015 में देश भर में घटते बाल लिंग अनुपात के मुद्दे को संबोधित करने हेतु की गयी थी। यह महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय की संयुक्त पहल है। इसके अर्न्तगत कन्या भ्रूण हत्या रोकने, स्कूलों में लड़कियों की संख्या बढ़ाने, स्कूल छोड़ने वालों की संख्या कम करने, शिक्षा के अधिकार के नियमों को लागू करने और लड़कियों के लिए शौचालयों के निर्माण में वृद्धि करने जैसे उद्देश्य निर्धारित किये गये है।
2. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरूआत वर्ष 2004 में विशेष रूप से कम साक्षरता दर वाले क्षेत्रों में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा की व्यवस्था करने हेतु की गयी थी।
3. महिला समस्या कार्यक्रम की शुरूआत वर्ष 1989 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के लक्ष्यों के अनुसार महिलाओं की शिक्षा में सुधार व उन्हें सशक्त करने हेतु की गयी थी।
4. यूनिसेफ भी देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार के साथ काम कर रहा है।

**वर्तमान स्थिति**

संयुक्त राष्ट्र की एक सर्वोच्च अधिकारी ने भारत को एक उदाहरण स्वीकार करते हुए कहा कि देश की सरकार अपनी आबादी के आधे हिस्से यानी महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कड़े प्रयास कर रही है। संयुक्त राष्ट्र की धार्मिक स्वतंत्रता संबंधी विशेष दूत अस्मा जहांगीर ने पत्रकारों से कहा है कि आपको भारत जैसे देश भी मिलेगें, जहां पारम्परिक मान्यताये है लेकिन फिर भी वहां की महिलाओं को समानता का अधिकार मिल रहा है।

पाकिस्तान की जानी-मानी वकील और मानवाधिकार कार्यकर्ता अस्मां ने कहा कि भारतीय महिला के सामने परेशानिया है लेकिन इसका मतलब है कि कुछ आशाएं है कि महिलाओं को आगे मुकाम मिलेगा। भारत को वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम के द ग्लोबल जेंडर गेप इंडेक्स 2009 की रेकिंग में 134 देशों में से 114वां स्थान मिला है। वर्तमान 2020 में जेंडर गेप इंडेक्स में 153 देशों में भारत का 112वां स्थान है। वास्तव में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। किसी भी समाज में वास्तविक समानता नही है, अस्मा ने इस तथ्य को स्वीकार किया कि कई देश विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को मुख्यधारा में ला रहे है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिकारी ने भारत की तुलना ऐसे देशों से की है, जहाँ महिलाओं के साथ धर्म के आधार पर भेदभाव होता है।

**निष्कर्ष**

सामाजिक संबलता हेतु बदलते भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ती जा रही है। परन्तु पुरूष साक्षरता से कम ही है लड़कों की तुलना में बहुत कम लड़कियां ही विद्यालयों में दाखिला लेती है। शहरी भारत में यह आकड़ा संतोषजनक है। यहां लड़कियां लगभग समान है लेकिन भारत में यौन उत्पीड़न, दहेज प्रताड़ना, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, गर्भपात, महिला तस्करी व अन्य उत्पीड़न के आंकड़े दिन व दिन बढ़ते दिखाई दे रहे है। वर्ष 1947 में सर्वोच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में होने वाले बाल विवाहों का 40 प्रतिशत अकेले भारत में होते है। भ्रूण हत्या के मद्देनजर इस पर प्रतिबंध लगाने का सराहनीय कार्य भारत सरकार ने किया। और घरेलू हिंसा रोकथाम के लिए 26 अक्टूबर 2006 में महिला संरक्षण एक्ट भी लाया गया। 22 अगस्त 2017 में सर्वोच्च न्यायालय की पांच जजों वाली बेंच ने तीन तलाक जैसी कुरीतियों पर प्रतिबंध लगाकर मुस्लिम समाज को नयी दिशा प्रदान की है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु ने कहा कि स्त्री की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है।

**सन्दर्भ ग्रन्थ सूची**

1. *भारतीय संविधान अनुच्छेद 14*
2. *भारतीय संविधान अनुच्छेद 15*
3. *भारतीय संविधान अनुच्छेद 16*
4. *भारतीय संविधान अनुच्छेद 21, 19*
5. *भारतीय संविधान अनुच्छेद 23*
6. *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*
7. *महिला एवं बाल विकास मंत्रालय*